सफल आवेदनकर्ता हेतु अन्य निबन्धन एवं शर्तें

1. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सामग्री/सेवा की आपूर्ति कार्यादेश में दी गयी अवधि के भीतर किया जाना अनिवार्य है। आपूर्तिकर्ता फर्म सभी सामग्रियों/सेवाओं की आपूर्ति ऋषिकेश नेचुरल फाइबर प्रोड्यूसर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड की मांग के अनरूप कंपनी के कार्यालय में अथवा नियत किये गये स्थान पर समयान्तर्गत करना सुनिश्चित करेगी। फर्म के बिलों का भुगतान यह सत्यापित करने के उपरांत ही किया जायेगा कि फर्म द्वारा सामग्रियों/सेवाओं की आपूर्ति कार्यादेश/मांग के अनरूप की गयी है। फर्म को किसी प्रकार की अग्रिम धनराशि नहीं दी जायेगी।

2. फर्म सामग्री प्रस्ताव में दिये गये ब्रांड की ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। आपूर्ति करायी गयी सामग्री/सेवा में किसी भी प्रकार की उत्पादन त्रुटि या किसी भी अन्य प्रकार की त्रुटि/दोष होने की दशा में फर्म सामग्री को त्रुटि रहित सामग्री से बदल कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

3. फर्म को सामग्रियों एवं सेवाओं का क्रय आदेश/कार्यादेश या तो ज्यादा मात्रा के लिए जारी किया जा सकता है या फिर समय के साथ कार्यालय की जरूरत के अनुरूप कम मात्रा के लिए भी जारी किया जा सकता है।

4. यदि फर्म सामग्रियों एवं सेवाओं की आपूर्ति निर्धारित समयावधि के भीतर या फिर ऋषिकेश नेचुरल फाइबर प्रोड्यूसर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड की मांग के अनुरूप नहीं करती है तो कंपनी को आपूर्तिकर्ता फर्म के साथ की गयी संविदा को फर्म के प्रति किसी प्रकार का दायित्व रखे बिना, निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। साथ ही संबंधित फर्म को कंपनी द्वारा भविष्य में आमंत्रित किये जाने वाली निविदाएं आदि हेतु काली सूचीबद्ध किया जा सकता है।

5. फर्म को आपूर्ति की जाने वाली सामग्री अथवा सेवा सामग्री की ढुलाई आदि ऋषिकेश नेचुरल फाइबर प्रोड्यूसर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा देय नहीं होगी। साथ ही यदि ढुलाई आदि के दौरान आपूर्ति की जा रही सामग्री में किसी प्रकार की टूट–फूट/क्षति होती है तो फर्म सामग्री को नई सामग्री से बदल कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। कंपनी की मांग के अनुरूप सामग्री को फर्म के प्रतिष्ठान/गोदाम से परिषद कार्यालय अथवा नियत किये गये स्थान पर उपलब्ध कराने तक का पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म के कर्मचारियों/प्रतिनिधि का होगा।

6. यदि त्रुटिवश परिषद कार्यालय द्वारा फर्म को जरूरत से अधिक सामग्री का क्रय आदेश जारी कर दिया जाता है या फिर फर्म द्वारा दी गयी सामग्री की आपूर्ति परिषद की खपत/जरूरत से अधिक मात्रा में हो जाती है तो उस दशा में फर्म अतिरिक्त सामग्री वापस लेने हेतु बाध्य होगी। यदि फर्म अतिरिक्त सामग्री वापस लेने से मना करती है तो परिषद को फर्म के साथ की गयी संविदा को आपूर्तिकर्ता फर्म के प्रति किसी प्रकार का दायित्व रखे बिना, निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. यदि फर्म द्वारा आपूर्ति करायी गयी सामग्रियों या प्रदत्त सेवाओं में किसी प्रकार का दोष/त्रुटि पायी जाती है या फिर फर्म द्वारा परिषद को प्रदत्त सेवाओं में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो परिषद को पूर्ण अधिकार होगा कि वह फर्म द्वारा ऋषिकेश नेचुरल फाइबर प्रोड्यूसर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड में जमा करायी गयी कार्यपूर्ति धनराशि में से कंपनी को हुई क्षति की पूर्ति हेतु धनराशि काट ले।

8. फर्म अपनी दरें ब्रांड सहित अंकित करें।

9. फर्म द्वारा अंकित पूर्ण वर्ष 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक मान्य होगा।

10. ऋषिकेश नेचुरल फाइबर प्रोड्यूसर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा आपूर्ति/क्रय की जाने वाली सामग्री/सेवाओं के लिए फर्म से धरोहर राशि (Earnest Money) या बैंक गारंटी मांगी जा सकती है जो क्रय आदेश/कार्यादेश की शर्तों के अनुसार बंधक रहेगी व परिषद को किसी त्रुटि/क्षति आदि के लिये इस धनराशि को या उसके किसी भाग को जब्त करने या उससे क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा।

11. ऋषिकेश नेचुरल फाइबर प्रोड्यूसर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किये जाने वाले भुगतान से आयकर व अन्य कोई सरकार कर देय हो तो उसे काटा जायेगा या नियमानुसर ऐसे कर के भुगतान की पुष्टि में प्रमाण प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

RISHIKESH NATURAL FIBER PRODUCER COMPANY LIMITED

TOOL KIT LIST

S.NO	PARTICULARS	AMOUNT
1	PATILA 15 LTR	
2	TUB 30 LTR	
3	SCISSORS 10"	
4	SCISSOR 8"	
5	SCISSOR 4"	
6	SCISSOR SMALL	
7	SCISSOR FOR FINISHING	
8	NEEDLES 125mm 1 pack	
9	NEEDLES 80 mm 1 pack	
10	SUA (BIG) 2	
11	KNITTING NEEDLES WOOL PACK	
12	CROCHET NEEDLES PACK	
13	BHATTI	
14	GAS LIGHTER	
15	GLUE GUN	
16	INCH TAPE	
17	WOODEN SCALE	
18	COMB SET	
19	TOOL KIT BAG	
	TOTAL	